श्रम का लैंगिक विभाजन (Sexual Division of Labour)

आर. डब्ल्यू. कोन्नल ने परिवार, राज्य और कार्य से संबंधित सभी गतिविधियों में मौजूदा यौन-आधारित असमानताओं को 'लिंग भेद राज्यों' (प्रबन्धों) का नाम दिया है। लैंगिक भेदभावपूर्ण समाज में 'पुरुषत्व' और 'स्त्रीत्व' की विचारधारा प्रभावपूर्ण होती है जिससे लैंगिक असमानताएं और पुष्ट होती है। एन. कबीर के अनुसार इसी आधार पर भारतीय महिलाओं में संसाधनों का वितरण होता है, इस परम्परागत अवधारणा के खण्डन की आवश्यकता है। कबीर के अनुसार वे प्रस्थितियां जो महिलाएं अपनी उपलब्धियों के द्वारा प्राप्त करती हैं, जैसे शिक्षा, ~~सरकारी~~ नौकरियाँ आदि, उसके लिए महिलाओं को श्रेय ना देकर उनके परिजनों को दिया जाता है। अपने वैयक्तिक लाभों और उपलब्धियों के उपरान्त भी महिलाओं को द्वितीयक प्रस्थिति ही मिलती है। वास्तव में पितृसत्ता, जाति-वर्ग सोपान के एक साथ होने के परिणामस्वरूप सामाजिक जीवन में लैंगिक भेद और पुष्ट होता है।

नगरीय मध्य वर्गों की महिलाएं शिक्षा और रोजगार से निस्संदेह अपनी प्रस्थिति ऊपर उठा रही परन्तु ऐसी महिलाओं की संख्या बहुत कम है, जिनके काम के घण्टे नियमित हों, जो कानून के अधीन सुरक्षित हों, पुरुषों के समान वेतन मिलता, मातृत्व अवकाश, बाल देखभाल अवकाश पाती हों। महिला रोजगार में क्षेत्रीय विभिन्नता मौजूद है। महिला रोजगार दक्षिणी मण्डल में उच्चतर है जबकि उत्तरी

क्षेत्र में निम्नतर। 2011 के जनगणनानुसार संगठित रोजगार में पुरुष जहां ~~ लाख है~~ 2 करोड़ 20 लाख के आसपास है वहीं महिला रोजगार की संख्या 55 लाख है। यहां महिलाओं की संख्या कम होने का कारण हम उन विधानों को मान सकते हैं जो महिलाओं को सुरक्षा देने के लिए बनाए गए हैं। संगठित क्षेत्र के नियोक्ताओं के अनुसार महिलाएं महंगी और तुच्छ श्रमिक शक्ति है जबकि असंगठित क्षेत्र में महिला श्रम शक्ति महंगी नहीं है और कुछ लचीली भी है। यद्यपि असंगठित क्षेत्र में स्त्री और पुरुष दोनों ही कई समस्याओं का सामना करते हैं परन्तु महिलाओं की कई समस्याएं मौजूदा लैंगिक भेद के कारण होती हैं जैसे— महिलाएं अधिकतर अकुशल शारीरिक श्रम में सम्मिलित रहती है, जिसे सबसे पहले मशीनीकृत किया गया, महिलाओं को निपुणता का प्रशिक्षण नहीं ~~कराते~~ दिया जाता, किसी ही महिला रोजगार को ट्रेड यूनियनों द्वारा रक्षित किया जाता है।

विकास का ये दौर विशेषज्ञता का है जो अधिकतर महिलाओं के पास नहीं है क्योंकि इसमें घर की पूंजी खर्च होती है ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जब रोजगार के लिए शहरों का रुख करती हैं तो प्रशिक्षित ना होने के कारण ही वे निर्माण कार्यों, पत्थर काटना, खाद्य प्रसंस्करण, फल-सब्जी बेचना, घरेलू नौकर के रूप में कार्य करना उनकी नियति बन जाती है। यद्यपि असंगठित क्षेत्र की महिलाओं की दशा सुधारने के लिए SEWA 'Self Employed Women Association' जैसी सहकारी समितियां काम कर रही हैं परन्तु अभी भी कई सुधारों की आवश्यकता है।